न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

स्वत्व वाद संख्या 61/2018
सीआइसए 831.18

दिनांकः 14.12.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 22.09.2022 को प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि प्रस्तुत मामले में वादी को न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2019 इस वाद के प्रतिवादीगण को तीन वर्षों तक विवादित जमीन पर निर्माण कार्य करने और विलेख लिखने से रोक दिया जाए लेकिन साथ ही साथ इन तीन वर्षों में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत कर वाद के विचारण को सम्पन्न कराने का भी निर्देश दिया था। यह कि उपरोक्त आदेश के बाद वादी ने साक्ष्य भी कराया परंतु कोरोना महामारी के कारण न्यायिक कार्य बाधित हो गया यह कि वादी सं0 07 की मृत्यु भी हो गयी यह कि वादी सं0 15 जो मुकदमे को देख रेख करते थे वह बाहर चले गये इस कारण से आदेश को विस्तारित नहीं किया जा सका। यह कि प्रतिवादी को मुकदमा की पूर्ण जानकारी है और वो विलेख लिखने के लिए अमादा है अतः न्यायालय के दिनांक 09.05.2019 के आदेश को विस्तारित करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

उपस्थित पक्ष को सुना। मामले का अनुशीलन किया। मामले के अनुशीलन के पश्चात न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 1 के अनुसार ***वे दशाएं जिनमें अस्थायी ब्यादेश दिया जा सकेगा जहां किसी वाद में शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि (क) वाद में विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा उसे नुकसान पहुंचाएगा या अन्य संक्रांत करेगा, या डिक्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, अथवा (ख) प्रतिवादी अपने लेनेदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है आश्य रखता है, (ग) प्रतिवादी को वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करने की या वाद को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, वहां न्यायालय ऐसे कार्य को अवरूद्ध करने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी ब्यादेश दे सकेगा या सम्पत्ति को दुर्व्ययित किए जाने, नुकसान पहुंचाए जाने, अन्य संक्रान्त किए जाने, विक्रय किए जाने, हटाए जाने या व्ययनित किए जाने से अथवा वादी को वाद में विवादग्रस्त सम्पत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय***

स्वत्व वाद संख्या 61/2018
सीआइसए 831.18

ठीक समझे, तब तक के लिए कर सकेगा जब तक उस वाद को निपटारा न हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश न दे दिए जाए।

प्रस्तुत मामले में उपस्थित पक्ष की बहस सुनने के पश्चात तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मामले में न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2019 के अपने आदेश में यह बात स्पष्ट रूप से वर्णित है मामले में वादी को एक पक्षीय साक्ष्य की कार्रवाई तीन वर्ष में पूरी करने तथा वाद का विचारण संपन्न करने का सशर्त अस्थायी ब्यादेश जारी किया गया था परन्तु दिनांक 09.05.2019 के बाद 47 तिथियों तक समय मिलने के पश्चात भी वादी ने मामले में पूरी तरह से लापरवाही बरती और केवल साक्ष्य प्रस्तुत किया । अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी खुद न्यायालय के आदेश के आड़ में अपना कार्य कर रहे हैं और मामले का जानबूझकर निस्तारण नहीं चाहते हैं अतः वादी का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है । एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।